पत्र संख्या– ब.15/बी0एस0जी0–12/2024– **176**/वि0

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्रेषक,

संजीव मित्तल, भा0प्र0से0
संयुक्त सचिव–सह–बजट पदाधिकारी।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांकः– **23.02.2024**

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2023–24 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी के अनुदानों की माँगों के संबंध में।**

महाशय,

बिहार विधान मंडल में दिनांक 23.02.2023 को वित्तीय वर्ष 2023–24 की तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी पुस्तिका का उपस्थापन किया गया। तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी पर वाद–विवाद, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक बिहार विधान सभा में दिनांक 27.02.2024 को विचारित कर पारित किया जाना है। तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी की पुस्तिका संलग्न कर भेजी जा रही है ताकि यह जानकारी हो सके कि विभाग से संबंधित माँग में कितनी राशि का प्रावधान प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी की पुस्तिका वित्त विभाग के वेबसाइट **https://state.bihar.gov.in/finance/** पर भी उपलब्ध है ।

तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी से संबंधित विनियोग विधेयक के विधान मंडल से पारित होने, महामहिम की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् एवं विधि विभाग से अधिसूचित किये जाने के उपरांत यथा समय सूचित किया जायेगा। तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सीधे अनुसूची से प्रावधानित राशि का व्यय अधिसूचना निर्गत होने के उपरांत ही किया जाना है। इस संबंध में, अगर नया उपशीर्ष खोला गया हो तो उपर्युक्त प्रक्रिया के पूर्ण होने एवं महालेखाकार की सहमति प्राप्त होने पर ही राशि का व्यय किया जाना होगा।

विश्वासभाजन,

(संजीव मित्तल) 23/02/24
संयुक्त सचिव–सह–बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक– ब.15 / बी0एस0जी0–12 / 2024– **176** / वि0 पटना, दिनांकः **23.02.2024**

प्रतिलिपि–प्रधान महालेखाकार को तीन प्रतियाँ / महालेखाकार (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को, उपरोक्त वर्णित तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी पुस्तिका की पाँच प्रतियाँ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/02/24

(संजीव मित्तल)

संयुक्त सचिव–सह–बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक– ब.15 / बी0एस0जी0–12 / 2024– **176** / वि0 पटना, दिनांकः **23.02.2024**

प्रतिलिपि–महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय / आरक्षी महानिदेशक, बिहार, पटना / महानिदेशक, अभियोजन निदेशालय, गृह विभाग / सचिव, बिहार विधान सभा / विधान परिषद् / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग / अध्यक्ष, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग / स्थानीय आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, नई दिल्ली / मुख्य मंत्री के सचिव / उप मुख्यमंत्री(वित्त), वित्त विभाग के आप्त सचिव / लोकायुक्त के सचिव / सचिव, राजस्व पर्षद / महानिरीक्षक, कारा, गृह विभाग / राज्य सूचना आयोग के सचिव / मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव / विकास आयुक्त के सचिव को तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी की पुस्तिका की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/02/24

(संजीव मित्तल)

संयुक्त सचिव–सह–बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक– ब.15 / बी0एस0जी0–12 / 2024– **176** / वि0 पटना, दिनांकः **23.02.2024**

प्रतिलिपि–सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिलाधिकारी / सभी कोषागार पदाधिकारी / सभी उप कोषागार पदाधिकारी को तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी की पुस्तिका की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/02/24

(संजीव मित्तल)

संयुक्त सचिव–सह–बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक– ब.15 / बी0एस0जी0–12 / 2024– **176** / वि0 पटना, दिनांकः **23.02.2024**

प्रतिलिपि– निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय / निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय / निदेशक, श्रम निदेशालय, श्रम संसाधन विभाग / निदेशक, पुरातत्व निदेशालय / निदेशक, संग्रहालय निदेशालय, कला संस्कृति एवं युवा विभाग / निदेशक, गव्य निदेशालय / निदेशक, मत्स्य निदेशालय / निदेशक, पशुपालन निदेशालय, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग / निदेशक, जन शिक्षा / निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / निदेशक, माध्यमिक शिक्षा / निदेशक, उच्च शिक्षा / निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण / निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् / निदेशक, सामाज कल्याण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग / निदेशक, कृषि निदेशालय, कृषि विभाग / निदेशक, चकबंदी / निदेशक, भू–अर्जन निदेशालय / निदेशक,

सर्वे निदेशालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय/निदेशक, अभिलेखाकार/निदेशक, भूमि संरक्षण/निदेशक, देशी चिकित्सा/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें/निदेशक, सांस्थिक वित्त/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार/सचिव, वाणिज्य–कर न्यायधिकरण/मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी की पुस्तिका की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/02/24

(संजीव मित्तल)
संयुक्त सचिव–सह–बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक– ब.15/बी0एस0जी0–12/2024– **176**/वि0 पटना, दिनांकः **23.02.2024**

प्रतिलिपि– अभिलेखागार पदाधिकारी, बिहार, पटना/उप सचिव, बिहार विधान सभा पुस्तकालय/अवर सचिव, बिहार विधान परिषद् पुस्तकालय को तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी की पुस्तिका की 5–5 प्रतियाँ अभिलेख संधारण हेतु प्रेषित।

23/02/24

(संजीव मित्तल)
संयुक्त सचिव–सह–बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक– ब.15/बी0एस0जी0–12/2024– **176**/वि0 पटना, दिनांकः **23.02.2024**

प्रतिलिपि– मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त (अंकेक्षण) विभाग/निदेशक, प्रेस एवं स्टेशनरी/प्रभारी पदाधिकारी, लेखा प्रशासन/प्रशाखा–4, 5 एवं 10/डाटा कोषांग/कोषागार शाखा/स्थापना/ लेखा शाखा/ उप सचिव, लोक उद्यम ब्यूरो/ निदेशक, सांस्थिक वित्त/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग, वित्त विभाग/अपर मुख्य सचिव/सचिव (व्यय)/सचिव (संसाधन)/विशेष सचिव, वित्त विभाग के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, शाखा–10, 13 एवं 4 को तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी की पुस्तिका की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/02/24

(संजीव मित्तल)
संयुक्त सचिव–सह–बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक– ब.15/बी0एस0जी0–12/2024– **176**/वि0 पटना, दिनांकः **23.02.2024**

प्रतिलिपि– स्थानीय लेखा परीक्षक, स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा), वीरचन्द्र पटेल मार्ग, बिहार, पटना को तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी की पुस्तिका की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/02/24

(संजीव मित्तल)
संयुक्त सचिव–सह–बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक– ब.15 / बी0एस0जी0–12 / 2024– **176** / वि0 पटना, दिनांकः **23.02.2024**

प्रतिलिपि– प्रणाली विश्लेषक / आई0टी0 मैनेजर डाटा कोषांग को तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी की पुस्तिका की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। **प्रणाली विश्लेषक / आई0टी0 मैनेजर को पुस्तिका की सी0डी0 संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि इसे विभागीय बेवसाइट पर डाल दें।**

23/02/24

(संजीव मित्तल)
संयुक्त सचिव–सह–बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक– ब.15 / बी0एस0जी0–12 / 2024– **176** / वि0 पटना, दिनांकः **23.02.2024**

प्रतिलिपि– बजट शाखा के सभी सहायक निदेशक / लेखा पदाधिकारी / प्रशाखा पदाधिकारी / सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी की पुस्तिका की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/02/24

(संजीव मित्तल)
संयुक्त सचिव–सह–बजट पदाधिकारी